हुज्जतुल इस्लाम

लेखक

युगावतार मसीह व महदी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम
अहमद साहिब क़ादियानी अलैहिस्सलाम

प्रकाशक
नज़ारत नश्र-व-इशाअत

हुज्जतुल इस्लाम

लेखक
युगावतार मसीह व महदी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम
अहमद साहिब क़ादियानी अलैहिस्सलाम

प्रकाशक
नज़ारत नश्र-व-इशाअत
सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान
पंजाब (भारत)

नाम पुस्तक : हुज्जतुल इस्लाम
लेखक : युगावतार मसीह व महदी
हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब
क़ादियानी अलैहिस्सलाम

अनुवादक : अलीहसन एम.ए., एच.ए.

प्रथम संस्करण हिन्दी: 2015 ई.

संख्या : 1000

प्रकाशक : नज़ारत नश्र-व-इशाअत, क़ादियान
ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)

मुद्रक : फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान

ISBN : 978-93-83882-60-1

ٹائیٹل بار اوّل

الحمد للہ والمنة کہ رسالہ تالیف کردہ مجدد دوران
مسیح الزمان مرزا غلام احمد رئیس قادیان
موسوم بہ

حُجّة الاسلام

جس میں ڈاکٹر ایچ مارٹن کلارک صاحب اور بعض دوسرے
عیسائی صاحبوں کو اس عظیم الشان دعوت کے لئے بلایا گیا ہے کہ دنیا
میں زندہ اور بابرکت اور آسمانی روشنی اپنے اندر رکھنے والا مذہب صرف
اسلام ہی ہے جس کے ثبوت کے نشان اب بھی اُسکے ساتھ ایسے ہی ہیں
جیسا کہ پہلے تھے اور اس رسالہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عیسائی مذہب
تاریکی میں پڑا ہوا ہے اور زندہ مذہب کی علامتیں اس میں موجود نہیں ہیں اور
جو ۲۲ مئی ۱۸۹۳ء کو مباحثہ قرار پایا ہے اسکی ضروری شرائط بھی اس میں درج
ہو کر معہ بعض اور اشتہارات کے جو شیخ محمد حسین بٹالوی وغیرہ کے متعلق ہیں

اتمام حجت کی غرض سے ۸ مئی ۱۸۹۳ء کو باہتمام شیخ نور احمد صاحب
مہتمم مطبع ریاض ہند امرتسر میں شائع ہوا

قیمت فی جلد ۱ر

تعداد جلد ۷۰۰

प्राक्कथन

बरकातुद्दुआ नामक पुस्तक के बाद यह पुस्तक आपने अप्रैल सन् 1893 ई. में उर्दू भाषा में प्रकाशित की। इसमें आपने डाक्टर हेनरी मार्टन क्लार्क और कुछ बड़े-बड़े अन्य ईसाई पादरियों को इस बड़ी चुनौती के लिए आमंत्रित किया कि दुनिया में जीवित, कल्याणकारी और अपने अन्दर दैवीय चमत्कार रखने वाला धर्म केवल इस्लाम है जिसके प्रमाण के निशान अब भी उसके साथ ऐसे ही हैं जैसे कि पहले थे और ईसाई धर्म अन्धकार में पड़ा हुआ है और जीवित धर्म के प्रमाण उसमें नहीं पाए जाते। इसके अतिरिक्त 22 मई सन् 1893 ई. को होने वाले मुबाहसा की आवश्यक शर्तों का भी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है और भविष्य में दोनों धर्मों में ठोस और अन्तिम निर्णय हेतु कि इनमें से कौन सा धर्म सच्चा और जीवित है मुबाहसा (शास्त्रार्थ) के अतिरिक्त मुबाहला करने और निशान दिखाने के लिए भी ईसाइयों को आमन्त्रित किया गया और वह पत्र-व्यवहार भी इसके साथ सम्मिलित किया गया है जो जन्डियाला के मुसलमानों और डाक्टर हेनरी मार्टन क्लार्क और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मध्य हुआ। इस पत्रिका में मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी के बारे में एक रोअ्या के आधार पर यह भविष्यवाणी भी की गई है कि वह एक दिन मुझे मुसलमान स्वीकार करेगा और अपनी मौत से पहले मुझे काफिर कहने से तौबा करेगा। यह भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई जब वह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मुबाहले की चुनौती के सामने न आया। हुज़ूर ने मुबाहला से पहले घोषणा पत्र द्वारा यह प्रकाशित कर दिया था कि :-

यदि शेख मुहम्मद हुसैन बटालवी 10 ज़ीक़ादा सन् 1310 हिजरी को मुबाहले के लिए उपस्थित न हुआ तो उसी दिन से यह समझा

जाएगा कि वह भविष्यवाणी जो उसके सम्बन्ध में प्रकाशित की गई थी कि वह काफिर-काफिर कहने से तौबा करेगा पूरी हो गई।

(सच्चाई का इज़्हार, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6, पृष्ठ 82)

स्वीकार की दृष्टि से यह भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई जब मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी ने हज़रत खलीफतुल मसीह प्रथम रज़ियल्लाहु अन्हु के उत्तराधिकाल में ज़िला गुजराँवाला के न्यायालय में मजिस्ट्रेट लाला देवकीनन्दन के सामने शपथपूर्वक गवाही में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमाअत को मुसलमान फिर्कों में स्वीकार किया।

इसका हिन्दी अनुवाद श्री अलीहसन एम.ए.,एच.ए. ने किया है। वर्तमान इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब की स्वीकृति से इस किताब का हिन्दी अनुवाद पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि यह हिन्दी भाषियों के लिए अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होगा । अल्लाह से दुआ है कि वह ऐसा ही करे। आमीन!

भवदीय

नाज़िर नश्रो इशाअत

हुज्जतुल इस्लाम

जिसमें डाक्टर एच. मार्टन क्लार्क साहिब और कुछ अन्य ईसाई साहिबों को इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आमंत्रित किया गया है कि संसार में जीवित, कल्याणकारी और अपने अन्दर अलौकिक ज्योति रखने वाला धर्म केवल इस्लाम ही है। जिसके सुबूत के निशान अब भी उसके साथ उसी तरह हैं जैसे कि पहले थे। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में यह भी वर्णन किया गया है कि ईसाई धर्म अन्धकार में पड़ा हुआ है और जीवित धर्म की निशानियाँ उसमें मौजूद नहीं हैं तथा 22 मई सन् 1893 ई. को जो मुबाहसा तय पाया है उसकी आवश्यक शर्तें और शेख मुहम्मद हुसैन बटालवी इत्यादि से संबंधित कुछ घोषणापत्र भी इसमें लिखे हैं।

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَکّٰىهَا ○ 1

(सूर: अश्शम्स : 10)

कोई उस पाक से जो दिल लगावे।
करे पाक आप को तब उसको पावे।।

यह तो हर एक क़ौम का दावा है कि बहुत से हम में ऐसे हैं कि ख़ुदा तआला से प्रेम करते हैं किन्तु इसका क्या प्रमाण है कि ख़ुदा तआला भी उनसे प्रेम करता है या नहीं। ख़ुदा तआला का प्रेम यह है कि पहले तो उनके दिलों से पर्दा उठावे जिस पर्दे के कारण सुदृढ़ तौर पर मनुष्य ख़ुदा तआला के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता और एक धुँधले और प्रकाशहीन ज्ञान के साथ उसके अस्तित्व को मानता है बल्कि कभी-कभी परीक्षा के समय उसके अस्तित्व से ही इन्कार कर बैठता है और यह पर्दा उठाया जाना ख़ुदा के संवाद के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। अत: मनुष्य सच्चे अध्यात्म ज्ञान के जलाशय में उस दिन गोता मारता है जिस दिन ख़ुदा तआला उसको संबोधित करके अपने विद्यमान होने की स्वयं शुभ सूचना देता है। तब मनुष्य का ज्ञान केवल अपने काल्पनिक ढकोसले या सुने सुनाए विचारों तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह ख़ुदा तआला के इतना निकट हो जाता है कि मानो उसको देखता है और यही पूर्ण सत्य है कि ख़ुदा तआला पर पूर्ण रूप से दृढ़ और सच्चा ईमान उसी दिन मनुष्य को प्राप्त होता है जब अल्लाह तआला अपने अस्तित्व से स्वयं शुभसूचना देता है। इसके अतिरिक्त दूसरी निशानी ख़ुदा तआला के प्रेम की यह है कि अपने प्रिय भक्तों को केवल अपने विद्यमान होने की सूचना ही नहीं देता

1. अनुवाद :- जिसने अपने मन को पवित्र रखा वह सफल हो गया। (अनुवादक)

बल्कि अपनी कृपादृष्टि के लक्षण भी विशेष तौर पर उन पर इस तरह प्रकट करता है कि उनकी दुआएँ ज़ाहिरी उम्मीदों से बढ़कर स्वीकार करके अपनी पवित्र वाणी और संवाद के द्वारा उनको सूचना दे देता है। तब उनके दिल विश्वास से भर जाते हैं कि यह हमारा सामर्थ्यवान ख़ुदा है जो हमारी दुआएँ सुनता है और हमको सूचना देता है और कष्टों से हमें मुक्ति देता है। उसी दिन से मुक्ति का विषय भी समझ आता है और ख़ुदा के अस्तित्व का भी पता लगता है। यद्यपि सचेत करने और चेतावनी देने के लिए कभी-कभी दूसरों को भी सच्चा स्वप्न आ सकता है। लेकिन इस स्थिति की प्रतिष्ठा, महानता एवं श्रेणी और दशा पृथक है। यह ख़ुदा तआला का संवाद है जो विशेष सानिध्य प्राप्त भक्तों से ही होता है और जब सानिध्य प्राप्त मनुष्य दुआ करता है तो ख़ुदा तआला अपनी खुदाई के प्रताप के साथ उस पर अपना तेज प्रकट करता है और अपनी रूह उस पर अवतरित करता है और अपने प्रेम से भरे हुए शब्दों के साथ उसको दुआ के स्वीकार होने की शुभसूचना देता है और जिस किसी से यह संवाद अत्यधिक होता है उसको नबी या मुहद्दस कहते हैं और सच्चे धर्म की यही पहचान है कि उस धर्म की शिक्षा से ऐसे सत्यनिष्ठ और सदाचारी पैदा होते रहें जो मुहद्दस की श्रेणी तक पहुँच जाएँ जिनसे ख़ुदा तआला आमने सामने बात करे। इस्लाम की सच्चाई और यथार्थता की पहली निशानी यही है कि इस में हमेशा ऐसे सत्यनिष्ठ और सदाचारी जिनसे ख़ुदा तआला संवाद करता है पैदा होते हैं। क़ुरआन शरीफ़ में अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ الۡمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوۡا وَلَا تَحۡزَنُوۡا [1] (حٰمٓ السجدة:31)

अत: सच्चे, जीवित और रुचिकर धर्म का यही सच्चा मापदण्ड है और हम जानते हैं कि यह अध्यात्म ज्योति केवल इस्लाम में है। ईसाई धर्म इस अध्यात्म ज्योति से रहित है। हमारी यह बहस जो

1. अनुवाद - उन पर फ़रिश्ते बार-बार यह कहते हुए अवतरित होते हैं कि भय न करो और शोक न करो। (अनुवादक)

डाक्टर क्लार्क साहिब से है इस उद्देश्य और इसी शर्त से है कि यदि वे इस मुक़ाबले से इन्कार करें तो नि:सन्देह समझो कि ईसाई धर्म के अनुपयोगी होने के लिए यही प्रमाण हज़ारों प्रमाणों से बढ़कर है कि मृत कदापि जीवित का मुक़ाबला नहीं कर सकता और न अन्धा आँख वाले की बराबरी कर सकता है।

सलामती हो उस पर जिसने सन्मार्ग का अनुसरण किया।

5 मई सन् 1893 ई.

खाकसार

मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद

क़ादियान

ज़िला गुरदासपुर

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

डाक्टर पादरी क्लार्क साहिब की "जंगे मुक़द्दस" और उनके मुक़ाबले के लिए

घोषणापत्र

स्पष्ट हो कि उल्लिखित शीर्षक की घोषणा करने वाले डाक्टर (पादरी मार्टन क्लार्क - अनुवादक) साहिब ने अपने कुछ पत्रों के द्वारा यह इच्छा प्रकट की कि वह इस्लाम के विद्वानों के साथ एक 'जंगे मुक़द्दस' की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि यह युद्ध एक पूर्णत: अन्तिम निर्णय के उद्देश्य से किया जाएगा और यह भी धमकी दी कि यदि इस्लाम के विद्वानों ने इस युद्ध से मुँह फेर लिया या स्पष्टत: पराजित हुए तो भविष्य में उनका अधिकार न होगा कि ईसाई विद्वानों के मुक़ाबले पर खड़े हो सकें या अपने धर्म को सच्चा समझ सकें या ईसाई क़ौम के सामने मुँह खोल सकें। चूँकि यह विनीत इन्हीं रूहानी (आध्यात्मिक) युद्धों के लिए भेजा गया है और ख़ुदा तआला की ओर से इल्हाम पाकर यह भी जानता है कि हर एक मैदान में जीत हमारी है। इसलिए तुरन्त डाक्टर साहिब को पत्र द्वारा सूचना दी गई है कि ठीक हमारी भी यही इच्छा है कि यह युद्ध घटित होकर सत्य और असत्य में खुला-खुला अन्तर स्पष्ट हो जाए और न केवल इसी को पर्याप्त समझा गया बल्कि कई प्रतिष्ठित लोग दूतों के रूप में युद्ध का संदेश लेकर डाक्टर साहिब के पास अमृतसर भेजे गए जिनके नाम निम्नलिखित हैं :-

1. मिर्ज़ा ख़ुदा बख़्श साहिब
2. मुंशी अब्दुल हक़ साहिब
3. हाफ़िज़ मुहम्मद यूसुफ साहिब
4. शेख रहमतुल्लाह साहिब
5. मौलवी अब्दुल करीम साहिब
6. मुंशी ग़ुलाम क़ादिर साहिब फ़सीह
7. मियाँ मुहम्मद यूसुफ खाँ साहिब
8. शेख नूर अहमद साहिब
9. मियाँ मुहम्मद अकबर साहिब
10. हकीम मुहम्मद अशरफ साहिब
11. हकीम नेमतुल्लाह साहिब
12. मौलवी ग़ुलाम अहमद साहिब इंजीनियर
13. मियाँ मुहम्मद बख़्श साहिब
14. ख़लीफा नूरुद्दीन साहिब
15. मियाँ मुहम्मद इस्माईल साहिब

तब डाक्टर साहिब और मेरे मित्रों के मध्य जो मेरी ओर से प्रतिनिधि थे कुछ बातचीत होकर सर्वसहमति से यह बात तय पाई कि यह मुबाहसा (शास्त्रार्थ) अमृतसर में हो। डाक्टर साहिब की ओर से इस युद्ध का पहलवान मिस्टर अब्दुल्लाह आथम भूतपूर्व एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट को चुना गया और यह भी उनकी ओर से प्रस्ताव पारित किया गया कि दोनों पक्ष तीन-तीन सहायक अपने साथ रखने के लिए अधिकृत होंगे और हर एक पक्ष को छ: छ: दिन विपक्ष पर ऐतराज़ करने के लिए दिए गए। इस तरह कि पहले छ: दिनों तक हमारा अधिकार होगा कि हम विपक्षी के धर्म, शिक्षा, और अक़ीदे पर ऐतराज़ करें, उदाहरण के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़ुदा और मुक्तिदाता होने के बारे में प्रमाण मांगें या अन्य कोई ऐतराज़ जो ईसाई धर्म पर हो सकता है प्रस्तुत करें। इसी तरह विपक्षी दल का भी यह

अधिकार होगा कि वह भी छः दिनों तक इस्लाम की शिक्षा पर ऐतराज़ करते जाएँ और यह भी तय पाया कि सभा की सुव्यवस्था के लिए दोनों ओर से एक-एक सभाध्यक्ष नियुक्त हो जो विपक्षी दल के लोगों को कोलाहल, अनुचित कार्यवाही और व्यर्थ हस्तक्षेप से रोके। इसके अतिरिक्त यह बात भी परस्पर तय पाई कि हर एक पक्ष के साथ उसकी क़ौम के पचास से अधिक लोग नहीं होंगे और दोनों पक्ष एक सौ टिकट छापकर पचास-पचास अपने-अपने आदमियों को दे देंगे और बिना टिकट दिखलाए कोई अन्दर न आ सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्त में डाक्टर साहिब के विशेष निवेदन से यह बात तय पाई कि यह बहस (शास्त्रार्थ) 22 मई सन् 1893 ई. से प्रारंभ होनी चाहिए। मुबाहसे के स्थान का प्रबन्ध और निर्णय डाक्टर साहिब के सुपुर्द रहा और वही उसके ज़िम्मेदार ठहरे। इन सब बातों के तय होने के बाद डाक्टर साहिब और मेरे धर्म-भाई मौलवी अब्दुल करीम साहिब की उस तहरीर पर हस्ताक्षर हो गए जिसमें यह शर्तें विस्तारपूर्वक लिखी गई थीं और यह तय पाया कि 15 मई सन् 1893 ई. तक दोनों पक्ष मुबाहसे की इन शर्तों को प्रकाशित कर दें। इसके पश्चात् मेरे मित्र क़ादियान लौट आए। चूँकि डाक्टर साहिब ने इस मुबाहसे का नाम जंगे-मुक़द्दस (पवित्र युद्ध) रखा है। इसलिए 25 अप्रैल सन् 1893 ई. को उनकी सेवा में लिखा गया कि वे शर्तें जो मेरे मित्रों ने स्वीकार की हैं मुझे भी स्वीकार हैं लेकिन यह बात पहले से तय हो जाना आवश्यक है कि उस जंगे-मुक़द्दस (पवित्र युद्ध) का दोनों पक्षों पर प्रभाव क्या पड़ेगा और कैसे खुले-खुले तौर पर समझा जाएगा कि वस्तुतः अमुक पक्ष पराजित हो गया है क्योंकि वर्षों के अनुभव से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि बौद्धिक तर्कों एवं शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा की गई बहसों (शास्थार्थ) में एक पक्ष चाहे कितना ही स्पष्ट रूप से विजय प्राप्त कर ले किन्तु दूसरे पक्ष के लोग कभी स्वीकार नहीं करते कि वे वस्तुतः पराजित हो गए हैं,

बल्कि मुबाहसों को प्रकाशित करते समय अपनी तहरीरों पर हाशिए चढ़ा-चढ़ाकर यह कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह अपनी ही विजय सिद्ध हो और यदि केवल शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा ही बहस हो तो एक बुद्धिजीवी भविष्यवाणी कर सकता है कि यह मुबाहसा (शास्त्रार्थ) भी उन्हीं मुबाहसों की भाँति होगा जो अब तक पादरी साहिबों और इस्लाम के विद्वानों में होते रहे हैं बल्कि यदि गम्भीरता से देखा जाए तो ऐसे मुबाहसे (शास्त्रार्थ) में कोई भी नई बात मालूम नहीं होती और पादरी साहिबों की ओर से वही छोटे मोटे ऐतराज़ होंगे, जैसे कि इस्लाम तलवार के बल से फैला है, इस्लाम में एक से अधिक पत्नियाँ रखने की शिक्षा है, इस्लाम का स्वर्ग एक जिस्मानी स्वर्ग है इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार हमारी ओर से भी वही साधारण जवाब होंगे कि इस्लाम ने तलवार उठाने में पहल नहीं की इस्लाम ने तो समय की आवश्यकतानुसार केवल शान्ति स्थापित करने की हद तक तलवार उठाई है और इस्लाम ने औरतों, बच्चों और ईसाई संन्यासियों के क़त्ल करने के लिए आदेश नहीं दिया, बल्कि जिन्होंने इस्लाम पर पहले तलवार उठाई वे तलवार से ही मारे गए और तलवार की लड़ाइयों में सब से बढ़कर तौरात की शिक्षा है जिसके अनुसार बहुत सी औरतें और बच्चे भी क़त्ल किए गए। जिस ख़ुदा की नज़र में वे निर्दयता और क्रूरता की लड़ाइयाँ बुरी नहीं थीं बल्कि उसके आदेश से थीं, तो फिर बड़ा अन्याय होगा कि वही ख़ुदा इस्लाम की उन लड़ाइयों से क्रोधित हो जो पीड़ित होने की अवस्था में या अमन क़ायम करने के उद्देश्य से ख़ुदा तआला के पवित्र **नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम** को करनी पड़ी थीं। इसी तरह एक से अधिक पत्नियाँ रखने के ऐतराज़ में हमारी ओर से वही साधारण जवाब होगा कि इस्लाम से पहले अधिकतर क़ौमों में अधिक पत्नियाँ रखने की सैकड़ों और हज़ारों तक नौबत पहुँच गई थी और इस्लाम ने तो अधिक

स्त्रियाँ रखने की संख्या को कम किया है न कि अधिक। बल्कि यह **क़ुरआन** में ही एक विशिष्ट विशेषता है कि उसने असीमित पत्नियाँ रखने की आज़ादी को रद्द कर दिया है। क्या वे इस्राईली क़ौम के पवित्र नबी जिन्होंने सौ-सौ पत्नियाँ कीं बल्कि कई ने तो सात सौ तक नौबत पहुँचाई वे मरते दम तक व्यभिचार में लगे रहे? और क्या उनकी सन्तान जिनमें से कई सत्यनिष्ठ और नबी (अवतार) भी थे अवैध संतान समझी जाती है? इसी तरह स्वर्ग के बारे में भी वही साधारण जवाब होगा कि मुसलमानों का स्वर्ग केवल जिस्मानी स्वर्ग नहीं बल्कि दीदारे इलाही का घर है और आध्यात्मिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के कल्याण की जगह है। हाँ ईसाई साहिबों का नर्क केवल शारीरिक है।

लेकिन इस जगह प्रश्न तो यह है कि इन मुबाहसों का परिणाम क्या होगा क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ईसाई साहिबान मुसलमानों के उन जवाबों को जो पूर्णत: सत्य और न्याय पर आधारित हैं स्वीकार कर लेंगे या एक इन्सान को ख़ुदा बनाने के लिए केवल चमत्कार पर्याप्त समझे जाएँगे या बाइबल की वे पंक्तियाँ जिनमें हज़रत मसीह के वर्णन के अतिरिक्त, कहीं यह लिखा है कि तुम सब ख़ुदा के बेटे हो और कहीं यह कि तुम उसकी बेटियाँ हो और कहीं यह कि तुम सब ख़ुदा हो, भौतिक तौर पर चरितार्थ ठहरा दिए जाएँगे ? जब ऐसा होना संभव नहीं तो मैं नहीं समझ सकता कि इस बहस का अच्छा परिणाम निकलेगा जिसके लिए बारह दिन अमृतसर में ठहरना आवश्यक है।

इन कारणों की दृष्टि से डाक्टर साहिब को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा परामर्श दिया गया था कि उचित है कि छ: दिन के बाद अर्थात जब दोनों पक्ष अपने 6-6 दिन पूरे कर लें तो उनमें मुबाहला भी हो और वह केवल इतना काफी है कि दोनों पक्ष अपने धर्म की सच्चाई के समर्थन के लिए ख़ुदा तआला से आसमानी निशान माँगे और उन निशानों के प्रकटन के लिए एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित हो। फिर

जिस पक्ष की सच्चाई के समर्थन में कोई आसमानी निशान प्रकट हो जो मानवीय शक्तियों से बढ़कर हो, जिसका मुक़ाबला विपक्षी दल न कर सके तो अनिवार्य होगा कि पराजित पक्ष उस पक्ष का धर्म अपना ले जिसको ख़ुदा तआला ने अपने आसमानी निशान के साथ विजयी किया है और यदि पराजित पक्ष धर्म अपनाने से इन्कार करे तो उस पर अनिवार्य होगा कि अपनी आधी जायदाद उस सच्चे धर्म की सहायता के उद्देश्य से विजयी पक्ष के सुपुर्द कर दे। यह ऐसा उपाय है कि इससे सत्य और असत्य में पूर्णत: अन्तर हो जाएगा। क्योंकि जब एक चमत्कारी निशान के मुक़ाबले पर दूसरा पक्ष आमने-सामने चमत्कारी निशान दिखलाने से पूर्णत: असमर्थ रहा तो निशान दिखलाने वाले पक्ष का विजयी होना पूर्णत: स्पष्ट हो जाएगा और सारी बहसें समाप्त हो जाएँगी और सच स्पष्ट हो जाएगा। परन्तु आज 3 मई 1893 ई. तक एक सप्ताह से अधिक का समय गुज़र गया है डाक्टर साहिब ने उस पत्र का अब तक कुछ भी जवाब नहीं दिया। अत: इस घोषणापत्र द्वारा डाक्टर साहिब और उनके समस्त लोगों की सेवा में निवेदन है कि जिस दशा में उन्होंने इस मुबाहसा का नाम जंगे-मुक़द्दस (पवित्र युद्ध) रखा है और चाहते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों में पूर्णत: निर्णय हो जाए और यह बात पूर्णत: स्पष्ट हो जाए कि सच्चा और सामर्थ्यवान ख़ुदा किस का खुदा है तो फिर साधारण बहसों से यह आशा रखना झूठी उम्मीद है। यदि यह इरादा नेक नीयती से है तो इससे अच्छा दूसरा कोई भी तरीक़ा नहीं कि अब आसमानी सहायता के साथ सच और झूठ को आज़माया जाए और मैंने इस ढंग को तन-मन से स्वीकार कर लिया है और बहस का वह तरीक़ा जो शास्त्रीय और बौद्धिक प्रमाणों के तौर पर तय पाया है, यद्यपि मेरे निकट कुछ आवश्यक नहीं परन्तु फिर भी वह भी मुझे स्वीकार है परन्तु इसके साथ ही यह अनिवार्य होगा कि हर एक पक्ष की 6-6 दिन की अवधि पूरी होने के बाद उपरोक्त शर्त के अनुसार मुझ में और विरोधी पक्ष में मुबाहला होगा और यह इक़रार (शपथ) दोनों पक्ष

पहले से प्रकाशित कर दें कि हम मुबाहला करेंगे अर्थात इस तरह से दुआ करेंगे कि हे हमारे ख़ुदा ! यदि हम झूठ और छल कपट पर हैं तो विपक्ष की सच्चाई के समर्थन के निशान से हमारी रुसवाई प्रकट कर और यदि हम सत्य पर हैं तो हमारे समर्थन में आसमानी निशान प्रकट करके विपक्षी की रुसवाई प्रकट कर और इस दुआ के समय दोनों पक्ष आमीन (तथास्तु) कहेंगे और एक वर्ष तक उसकी समय सीमा होगी और पराजित पक्ष की सज़ा वह होगी जो ऊपर वर्णन हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त अगर यह प्रश्न हो कि यदि एक वर्ष के अन्दर दोनों ओर से कोई निशान प्रकट न हो या दोनों ओर से प्रकट हो तो फिर कैसे निर्णय होगा। तो इस का जवाब यह है कि यह लेखक इस दशा में भी अपने आप को पराजित समझेगा और ऐसी सज़ा के योग्य ठहरेगा जो ऊपर वर्णन हो चुकी है। चूँकि मैं ख़ुदा तआला की ओर से अवतार हूँ और विजय पाने की शुभ सूचना पा चुका हूँ। अत: यदि कोई ईसाई साहिब मेरे मुक़ाबले पर आसमानी निशान दिखला दे या मैं एक वर्ष तक दिखला न सकूँ तो मेरा असत्य पर होना स्पष्ट हो गया। मुझे अल्लाह की क़सम है कि उसने स्पष्ट तौर पर मुझे अपने इल्हाम से कहा है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बिना किसी अन्तर के ऐसा ही मनुष्य था जिस तरह दूसरे मनुष्य हैं, परन्तु ख़ुदा तआला का चुना हुआ सच्चा नबी और रसूल है और मुझे यह भी कहा कि, जो मसीह को दिया गया वह हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुकरण से तुझ को दिया गया है और तू मसीह मौऊद है और तेरे साथ एक नूरानी हथियार[1] है जो अन्धकार को दूर करेगा और सलीबी विचारधाराओं को तोड़ने का प्रमाण होगा। अत: जब यह बात है तो मेरी सच्चाई के लिए यह आवश्यक है कि मुबाहले के बाद मेरी ओर से एक वर्ष के अन्दर अवश्य निशान प्रकट हो और यदि निशान प्रकट न हो तो फिर मैं ख़ुदा

1. अर्थात दिव्यज्ञान रूपी शस्त्र - अनुवादक।

तआला की ओर से नहीं हूँ, और न केवल वही सज़ा बल्कि मौत की सज़ा के योग्य हूँ। इसलिए आज मैं इन सारी बातों को स्वीकार करके घोषणापत्र देता हूँ। अब इस घोषणापत्र के प्रकाशित होने के बाद उचित और अनिवार्य है कि डाक्टर साहिब भी इस तरह का घोषणापत्र दे दें कि यदि मुबाहले के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के समर्थन में एक वर्ष के अन्दर कोई निशान प्रकट हो जाए और जिसके सम्मुख इसी वर्ष के अन्दर हम निशान दिखलाने से असमर्थ हो जाएँ तो तुरन्त इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे अन्यथा अपनी सारी जायदाद का आधा भाग इस्लाम धर्म की सहायता के उद्देश्य से विजयी पक्ष को दे देंगे और भविष्य में इस्लाम के मुक़ाबले पर कभी खड़े नहीं होंगे। डाक्टर साहिब इस समय खूब सोच लें कि मैंने अपने बारे में बहुत कठोर शर्तें रखी हैं और उनके बारे में शर्तें नरम रखी गई हैं अर्थात यदि मेरे मुक़ाबले पर वह निशान दिखलाएँ और मैं भी दिखलाऊँ तब भी इस शर्त के अनुसार वही सच्चे ठहराए जाएँगे और यदि एक वर्ष तक न मैं निशान दिखला सकूँ और न वे तब भी वही सच्चे ठहरेंगे मैं केवल इस दशा में सच्चा ठहरूँगा कि मेरी ओर से एक वर्ष के अन्दर ऐसा निशान प्रकट हो जिसके मुक़ाबले से डाक्टर साहिब असमर्थ रहें और यदि डाक्टर साहिब इस घोषणापत्र के प्रकाशन के बाद ऐसे विषय का घोषणापत्र मेरे मुक़ाबले पर प्रकाशित न करें तो फिर स्पष्ट तौर पर उनका इन्कार समझा जाएगा। हम फिर भी उनकी शास्त्रीय एवं बौद्धिक तर्क संबंधी बहस के लिए उपस्थित हो सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि वह निशान दिखलाने के विषय में अपना और अपनी क़ौम का इस्लाम के मुक़ाबले पर असमर्थ होना प्रकाशित कर दें अर्थात यह लिख दें कि यह इस्लाम ही की शान है कि उससे आसमानी निशान प्रकट हों और ईसाई धर्म उन विशेषताओं से ख़ाली है। मैंने सुना है कि

डाक्टर साहिब ने मेरे मित्रों के सामने यह भी कहा था कि हम मुबाहसा तो करेंगे लेकिन यह मुबाहसा फ़िर्क़ा अहमदिया से होगा न कि जन्डियाला के मुसलमानों से। इसलिए डाक्टर साहिब को ज्ञात रहे कि फ़िर्क़ा अहमदिया के लोग ही सच्चे मुसलमान हैं जो ख़ुदा तआला की वाणी में इन्सान की राय को नहीं मिलाते और हज़रत मसीह का दर्जा उतना ही मानते हैं जो क़ुरआन शरीफ से सिद्ध होता है।

सलामती हो उस पर जिसने हिदायत का अनुसरण किया।

मियाँ बटालवी साहिब की सूचना के लिए घोषणापत्र

स्पष्ट हो कि शेख बटालवी साहिब की सेवा में वह घोषणापत्र जिसमें आमने-सामने बैठकर क़ुरआन की अरबी में तफ़्सीर (व्याख्या) लिखने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, 01 अप्रैल सन् 1893 ई., को पहुँचाया गया था। अत: मिर्ज़ा ख़ुदा बख़्श साहिब जो घोषणापत्र लेकर लाहौर गए थे यह सन्देश लाए कि बटालवी साहिब ने वादा कर लिया है कि 01 अप्रैल से दो सप्ताह के अन्दर जवाब छापकर भेज देंगे। अतएव दो सप्ताह तक जवाब की प्रतीक्षा रही लेकिन कोई जवाब न आया। फिर दोबारा उनको स्मरण कराया गया तो उन्होंने अपने पत्र के द्वारा जो मेरे घोषणापत्र में छप चुका है यह जवाब दिया कि हम अप्रैल के अन्दर-अन्दर जवाब छापकर भेज देंगे। अत: अब अप्रैल भी बीत गया और बटालवी साहिब ने दो वादे करके वादा भंग किया। हम उन पर कोई आरोप नहीं लगाते, किन्तु उन्हें स्वयं शर्म आनी चाहिए कि वह स्वयं तो दूसरों का नाम बिना जाँच पड़ताल के झूठा और वादा तोड़ने वाला रखते हैं और अपने वादों का कुछ भी ख्याल नहीं रखते। आश्चर्य है कि यह जवाब केवल हाँ या न से हो सकता था, मगर उन्होंने एक महीना गुज़ार दिया और यह महीना हमारा केवल प्रतीक्षा में व्यर्थ गया। अब हमें भी दो ज़रूरी काम पड़ गए हैं (1) डाक्टर क्लार्क साहिब के साथ मुबाहसा (2) एक आवश्यक किताब का संकलन, जो इस्लाम के समर्थन के लिए अतिशीघ्र अमेरिका में भेजी जाएगी, जिसका यह तात्पर्य होगा कि संसार में सच्चा और जीवित धर्म केवल इस्लाम है। इसलिए मियाँ बटालवी साहिब

को सूचित किया जाता है कि यदि इन दोनों कामों के पूरा होने से पहले आपका जवाब आया तो फिर कोई दूसरी तिथि आपके मुक़ाबले के लिए प्रकाशित की जाएगी जो इन दोनों कामों से निवृत्ति के बाद होगी।

मिस्टर अब्दुल्लाह आथम के एक पत्र का उत्तर

आज इस घोषणापत्र को लिखकर अभी मैं बैठा ही था कि मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब का पत्र डाक द्वारा मुझको मिला। यह पत्र, उस पत्र का उत्तर है जो मैंने उपरोक्त मुबाहसे के बारे में श्रीमान[1] डा. क्लार्क साहिब की ओर लिखा था। अत: अब इसका भी उत्तर नीचे उसका कथन और मेरा कथन के रूप में लिखता हूँ।

उसका कथन — हम इस बात को नहीं मानते हैं कि प्राचीन शिक्षाओं के लिए नये चमत्कार की थोड़ी सी भी आवश्यकता है। इसलिए हम चमत्कार के लिए न इच्छा रखते हैं और न दिखलाने की कुछ शक्ति अपने अन्दर पाते हैं।

मेरा कथन — मेरे मित्र ! मैंने चमत्कार का शब्द अपने पत्र में प्रयोग नहीं किया। नि:सन्देह दिखलाना दिखाना नबी तथा ईशदूत का काम है न कि प्रत्येक मनुष्य का। परन्तु इस बात को तो आप मानते और जानते हैं कि प्रत्येक वृक्ष अपने फल से ही पहचाना जाता है और ईमानदारी के फलों का वर्णन जैसा क़ुर्आन करीम में है, वैसा इंजील शरीफ़ में भी है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसलिए अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ईमानदारी के फल दिखलाने की भी आपको ताक़त नहीं ?

उसका कथन — फिर भी यदि श्रीमान किसी चमत्कार को दिखाना ही चाहते हैं तो हम उसे देखने से आखें बंद न करेंगे और जितना सुधार अपनी ग़लती का आप के चमत्कार से कर सकते हैं उसको अपना परम कर्त्तव्य समझेंगे।

मेरा कथन — नि:सन्देह आपकी यह बात न्यायपूर्ण है और

1. अर्थात अब्दुल्लाह आथम साहिब (अनुवादक)

किसी के मुख से यह पूर्ण रूप से तब तक निकल नहीं सकती जब तक उसको न्याय का ख़्याल न हो। परन्तु इस स्थान पर आपका यह वाक्य कि ''जितना सुधार अपनी ग़लती का हम आपके चमत्कार से कर सकते हैं उसको अपना परम् कर्त्तव्य समझेंगे'' व्याख्या चाहता है। यह विनीत तो केवल इस लिए भेजा गया है कि यह सन्देश अल्लाह के भक्तों तक पहुँचा दे कि संसार में विद्यमान समस्त धर्मों में से वह धर्म सत्य पर और ख़ुदा तआला की इच्छा के अनुसार है जो क़ुर्आन करीम प्रस्तुत करता है और दारुल नजात (स्वर्ग) में प्रवेश करने के लिए मुख्यद्वार सिर्फ़ ''**ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह**'' है। अब क्या आप इस बात के लिए तैयार और तत्पर हैं कि निशान देखने के पश्चात् इस धर्म को स्वीकार कर लेंगे ? आप का उपरोक्त वाक्य मुझे आशा दिलाता है कि आप इससे इन्कार न करेंगे। अत: यदि आप तत्पर हैं तो कुछ पंक्तियाँ तीन अख़बारों अर्थात् नूर अफ़्शां और मन्शूर-ए-मुहम्मदी तथा किसी आर्य समाजी के अख़बार में प्रकाशित करवा दें कि हम ख़ुदा तआला को हाज़िर तथा नाज़िर (अर्थात विद्यमान और दृष्टा) जान कर यह वादा करते हैं कि यदि इस मुबाहसे के पश्चात् जिसकी तिथि 22 मई 1893 ई. तय पाई है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ख़ुदा तआला सहायता करे और कोई ऐसा निशान उसके समर्थन में प्रकट करे कि जो उसने समय से पहले बता दिया हो और जैसा उसने बताया हो वह पूरा भी हो जाए तो हम उस निशान के देखने के पश्चात् बिना किसी विलम्ब के मुसलमान हो जाएँगे और हम यह भी वादा करते हैं कि हम उस निशान को बिना किसी व्यर्थ आलोचना के स्वीकार कर लेंगे और किसी हालत में वह निशान, अविश्वस्त एवं आपत्तिजनक नहीं समझा जाएगा सिवाय इसके कि ऐसा ही निशान इसी वर्ष के भीतर हम भी दिखा दें। उदाहरणत: यदि निशान के रूप में यह भविष्यवाणी हो कि अमुक समय किसी विशेष व्यक्ति या एक दल पर अमुक विपत्ति आयेगी और वह भविष्यवाणी उसी अवधि में पूरी हो जाए तो बिना

इसके कि उसकी मिसाल अपनी ओर से प्रस्तुत करें, हर हाल में स्वीकार करनी पड़ेगी और यदि हम निशान देखने के पश्चात् इस्लाम धर्म स्वीकार न करें और न उसके मुक़ाबले पर उसी वर्ष के अन्दर उसी की तरह कोई अलौकिक निशान दिखा सकें तो वचन तोड़ने के जुर्माने के रूप में अपनी आधी सम्पत्ति इस्लाम की सेवा के लिए उसके सुपुर्द करेंगे और यदि हम दूसरी बात को भी पूरा न करें और वचन को तोड़ दें तो इस वचन भंजन के पश्चात् हमारे लिए कोई क़हरी (ईश्वरीय कोप का) निशान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद प्रकाशित करना चाहें तो हमारी ओर से आज्ञा होगी कि अख़बारों या अपनी पत्रिकाओं में उसको प्रकाशित करें। यह लेख आपकी ओर से, नाम, धर्म, पिता का नाम और निवास स्थान सहित हो तथा दोनों पक्षों के पचास-पचास प्रतिष्ठित एवं विश्वस्त गवाहों की गवाही उस पर हो तब तीन अख़बारों में उसको आप प्रकाशित करा दें। जब आपकी इच्छा सत्यता को प्रकट करना है और यह कसौटी आपके और हमारे धर्म के अनुकूल है तो अब ख़ुदा के लिए इसको स्वीकार करने में विलम्ब न करें। अब बहरहाल वह समय आ गया है कि ख़ुदा तआला सच्चे धर्म का प्रकाश एवं उसकी बरकतें (उपादेयताएँ) प्रकट करे तथा संसार को एक ही धर्म में पिरो दे। इसलिए यदि आप दिल को मज़बूत करके सब से पहले इस राह में क़दम बढ़ाएँ और अपने वचन को भी सत्य एवं साहस के साथ पूरा करें तो ख़ुदा तआला के समक्ष सत्यवादी ठहरेंगे और यह आपकी सत्यवादिता का सदा के लिए एक निशान रहेगा।

यदि आप यह कहें कि हम तो यह सब बातें कर गुज़रेंगे और किसी निशान के देखने के पश्चात् इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे या पूर्वोक्त अन्य शर्तें पूरी करेंगे और यह वचन पहले ही से तीन अख़बारों में प्रकाशित भी करवा देंगे। लेकिन यदि तुम ही

झूठे निकले और कोई निशान दिखला न सके तो तुम्हें क्या दण्ड मिलेगा ? तो मैं इसके उत्तर में तौरेत के अनुसार मौत का दण्ड अपने लिए स्वीकार करता हूँ और यदि ऐसा करना क़ानून[1] के विरुद्ध हो तो मैं अपनी कुल सम्पत्ति आपको दे दूँगा। जिस प्रकार चाहें पहले मुझ से तसल्ली करा लें।

उसका कथन — परन्तु श्रीमान को यह याद रहे कि चमत्कार हम उसी को जानेंगे जो चमत्कार का दावा करने वाले की ललकार के साथ प्रकट हो और किसी संभावित विषय की सच्चाई को प्रमाणित करता हो।

मेरा कथन — इससे मैं सहमत हूँ। ललकार इसी बात का नाम है कि उदाहरणत: एक व्यक्ति ईश्वर की ओर से अवतरित होने का दावा करके, अपने दावे की पुष्टि के लिए कोई ऐसी भविष्यवाणी करे जो मनुष्य की शक्ति एवं सामर्थ्य से बढ़कर हो और वह भविष्यवाणी सच्ची निकले तो वह तौरेत इस्तिस्ना 18-18 के अनुसार सच्चा ठहरेगा। हाँ यह सच है कि ऐसा निशान किसी संभावित विषय की पुष्टि करने वाला होना चाहिए अन्यथा यह तो उचित नहीं कि कोई व्यक्ति उदाहरणत: यह कहे कि मैं ख़ुदा हूँ और अपने ख़ुदा होने के प्रमाण में कोई भविष्यवाणी करे और वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए तो फिर वह ख़ुदा माना जाए।

परन्तु मैं इस स्थान पर आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जब इस विनीत ने मुलहम[2] और अल्लाह की ओर से आदेशित होने का दावा किया था तो सन् 1888 ई. में मिर्ज़ा इमामुद्दीन ने जिसको आप ख़ूब जानते हैं, ''चश्मा-ए-नूर'' अमृतसर में मेरे मुक़ाबले पर इश्तिहार प्रकाशित कर के मुझ से निशान माँगा था तब निशान दिखाने के लिए एक भविष्वाणी की गई थी जो ''नूर अफ़शाँ'' 10 मई 1888 ई. में प्रकाशित हो गई थी जिसका

1. अर्थात देश के क़ानून - अनुवादक
2. अल्लाह की ओर से सूचना पाने वाला - अनुवादक

विस्तारपूर्वक वर्णन उस अख़बार में और मेरी पुस्तक ''आईना कमालात'' के पृष्ठ 279, 280 में वर्णित है और वह भविष्यवाणी 30 सितम्बर सन् 1892 ई. को अपनी अवधि के अन्दर पूरी हो गई। अत: अब आपके न्याय की परीक्षा के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि यह निशान है या नहीं ? और यदि निशान नहीं तो इसका क्या कारण है ? और यदि निशान है तथा आपने उसको देख भी लिया और न केवल ''नूर अफ़शाँ'' 10 मई सन् 1888 ई. में अपितु मेरे इश्तिहार 10 जुलाई सन् 1888 ई. में निर्धारित अवधि के साथ प्रकाशित भी हो चुका है, तो आप बताएँ कि आपका इस समय परम कर्त्तव्य है या नहीं कि उस निशान से भी लाभ उठाएँ और अपनी ग़लती का सुधार करें और कृपा करके मुझे सूचित करें कि आपने क्या सुधार किया और कितने ईसाई सिद्धान्तों को छोड़ा ? क्योंकि यह निशान तो ज़्यादा पुराना नहीं। अभी कल की बात है कि ''नूर अफ़शाँ'' और मेरे इश्तिहार 10 जुलाई सन् 1888 ई. में प्रकाशित हुआ था और यह आपकी समस्त शर्तों के अनुसार ही है। मेरे समक्ष आपके न्याय की यह एक कसौटी है। यदि आपने उस निशान को मान लिया और अपने वचन के अनुसार अपनी ग़लती का भी सुधार किया तो मुझे दृढ़ विश्वास होगा कि अब भविष्य में भी आप अपने बड़े सुधार के लिए तत्पर हैं। इस निशान का इतना तो आप पर प्रभाव अवश्य होना चाहिए कि कम से कम आप अपनी यह स्वीकृति प्रकाशित कर दें कि यद्यपि अभी निश्चित रूप से नहीं अपितु ठोस अनुमान के तौर पर इस्लाम धर्म ही मुझे सच्चा ज्ञात होता है। क्योंकि ललकार के रूप में उसके समर्थन के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी वह पूरी हो गई। आप जानते हैं कि इमामुद्दीन इस्लाम धर्म का इनकारी तथा एक नास्तिक व्यक्ति है और उसने इश्तिहार द्वारा इस्लाम धर्म की सच्चाई और इस विनीत

के मुलहम (ईशवाणी प्राप्त) होने के बारे में एक निशान माँगा था जिसको ख़ुदा तआला ने निकटता की राह से उसी के परिजनों पर डालकर उस पर तर्क पूर्ण कर दिया। आप इस निशान के स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में अवश्य उत्तर दें। अन्यथा हमारा यह एक पहला कर्ज़ है जो आप के ज़िम्मे रहेगा।

उसका कथन — मुबाहले[1] भी चमत्कारों के प्रकार में से ही हैं। लेकिन हम इंजील की शिक्षा के अनुसार किसी के लिए ला'नत (अभिशाप) की दुआ नहीं माँग सकते। श्रीमान को आज्ञा है जो चाहें माँगे तथा उत्तर की प्रतीक्षा एक वर्ष तक करें।

मेरा कथन — मेरे मित्र ! मुबाहले में दूसरे पर ला'नत डालना आवश्यक नहीं अपितु इतना कहना काफ़ी होता है कि उदाहरणस्वरूप एक ईसाई कहे कि मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि वास्तव में हज़रत मसीह ख़ुदा हैं और क़ुर्आन ख़ुदा तआला की ओर से नहीं और यदि मैं इस बात में झूठा हूँ तो ख़ुदा तआला मुझ पर ला'नत डाले। अत: मुबाहले का यह ढंग इंजील के विरुद्ध नहीं अपितु बिल्कुल उसके अनुसार ही है आप ध्यानपूर्वक इंजील को पढ़ें।

इसके अतिरिक्त मैं पहले लिख चुका हूँ कि यदि आप निशान दिखाने के मुक़ाबले में असमर्थ हैं तो फिर एकतरफा इस विनीत की ओर से ही सही, मुझको पूर्णत: स्वीकार है। आप इक़रारनामा ऊपर लिखे हुए नमूने के अनुसार प्रकाशित करें और जिस समय आप कहें मैं अविलम्ब अमृतसर में उपस्थित हो जाऊँगा। यह तो मुझको पहले ही से ज्ञात है कि ईसाई धर्म उसी दिन से अन्धकार में पड़ा हुआ है जब से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को ख़ुदा का स्थान दिया गया और जब से

1. झूठ के पर्दाफाश के लिए झूठे के लिए ईश्वर से लानत या दण्ड रूपक निशान माँगना। (अनुवादक)

ईसाई लोगों ने एक सच्चे तथा सम्पूर्ण एवं पवित्र नबी अफ़ज़लुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इन्कार किया। इसलिए मैं नि:सन्देह जानता हूँ कि ईसाई महोदयों में से यह शक्ति किसी में भी नहीं कि इस्लाम के जीवित प्रकाशों का मुक़ाबला कर सकें। मैं देखता हूँ कि वह मुक्ति तथा अनन्त जीवन जिसकी चर्चा ईसाई महोदयों के मुँह पर है, वह मुसलमानों के सिद्धपुरुषों में सूर्य के समान चमक रहा है। इस्लाम में यह एक बलिष्ठ विशेषता है कि वह अन्धकार से निकाल कर अपने ज्ञान में दाख़िल करता है जिस ज्ञान की बरकत से मोमिन में ईश्वर द्वारा क़ुबूल किये जाने के खुले खुले लक्षण पैदा हो जाते हैं और ख़ुदा तआला से वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और ख़ुदा तआला अपने प्रेम की निशानियाँ उसमें प्रकट कर देता है। मैं ज़ोर से और दावे से कहता हूँ कि ईमानी ज़िन्दगी केवल पूर्ण मुसलमान को ही मिलती है और यही इस्लाम की सच्चाई का निशान है।

अब आपके पत्र का आवश्यक उत्तर हो चुका और यह इश्तिहार एक पत्रिका के रूप में छापकर आप की सेवा में तथा डा. क्लार्क साहिब की सेवा में रजिस्ट्री डाक द्वारा भिजवाता हूँ। अब मेरी ओर से हुज्जत पूरी हो चुकी। आगे आपकी इच्छा।

उस पर सलामती हो जो हिदायत का अनुसरण करे।

लेखक

ख़ाकसार

मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद

क़ादियान, ज़िला गुरदासपुर।

शेख मुहम्मद हुसैन बटालवी के बारे में एक भविष्यवाणी

शेख मुहम्मद हुसैन अबू सईद की आजकल एक दयनीय हालत है। यह व्यक्ति इस विनीत को काफ़िर समझता है और न केवल काफ़िर अपितु उसके कुफ्रनामा में कई महानुभावों ने इस विनीत के बारे में अक्फर (अर्थात सबसे बड़ा काफ़िर) का शब्द भी प्रयोग किया है। अपने वृद्ध गुरू नज़ीर हुसैन देहलवी को भी उसने इसी मुसीबत में डाल दिया है। आश्चर्य है कि एक आदमी अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान रखता है और रोज़ा नमाज़ का पाबन्द है और मुसलमानों में से है और समस्त व्यवहारिक बातों में थोड़ा सा भी क़ुरआन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत[1] का विरोधी नहीं, उसको मियाँ बटालवी केवल इस कारण से काफ़िर अपितु सबसे बड़ा काफ़िर और सदैव नर्क में रहने वाला कहता है कि वह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को पवित्र क़ुरआन की स्पष्ट आयत فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي के अनुसार मृत्यु प्राप्त समझता है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस भविष्यवाणी के अनुसार कि मसीह मौऊद इसी उम्मत[2] में से होगा, अपने आपको अपने निरन्तर इल्हामों और निःसन्देह निशानों के आधार पर मसीह मौऊद घोषित करता है। इसके अतिरिक्त मियाँ बटालवी मनगढ़त रूप से यह भी कहता है कि मानो यह विनीत फरिश्तों का इन्कारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मेराज का इन्कारी, नुबुव्वत का दावेदार

1. हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के व्यवहारिक आदर्श। (अनुवादक)
2. अर्थात उम्मते मुहम्मदिया जिसको दूसरे शब्दों में इस्लाम कहते हैं - अनुवादक

और ख़ुदाई चमत्कारों को भी नहीं मानता। आश्चर्य है कि इस बेचारे ने काफ़िर ठहराने के लिए कितनी मनगढ़त बातें गढ़ीं हैं और उन्हीं ग़मों में मर रहा है कि किसी तरह एक मुसलमान को सारे लोग काफिर समझ लें, अपितु ईसाइयों और यहूदियों से भी कुफ्र में बड़ा ठहरावें। देखने वाले कहते हैं कि अब उस का बहुत ही बुरा हाल है। यदि किसी के मुँह से निकल जाए कि मियाँ क्यों कलिमा पढ़ने वालों को काफ़िर बनाते हो कुछ तो ख़ुदा से डरो तो पागल की तरह उसके पीछे घूमता है और बहुत सी गालियाँ इस विनीत को निकालकर कहता है कि वह ज़रूर काफ़िर है और सब काफ़िरों से बढ़कर है। हम उसके शुभ चिन्तकों से कहते हैं कि इस दयनीय समय में अवश्य उसके लिए दुआ करें। अब उसकी नैय्या एक ऐसे भँवर में है जिससे निकलना असम्भव ज्ञात होता है।

وانی رأیت ان ھٰذا الرّجل یؤمن بایمانی قبل موته ورأیت
کانه ترك قول التکفیر و تاب۔ وھذه رؤیای وارجو ان
یجعلھا ربی حقا۔ والسلام علٰی من اتبع الھدٰی۔

लेखक

ख़ाकसार

मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद

क़ादियान, ज़िला गुरदासपुर

4 मई सन् 1893 ई.

वह पत्र जो मुहम्मद बख़्श पाँधा ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब को लिखा

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نحمدہٗ و نستعینہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

श्रीमान् यशस्वी, युग के सुधारक, प्रकाण्ड विद्वान दीन-ए-रसूल (स.अ.व.) के मददगार हज़रत ग़ुलाम अहमद साहिब।

मुहम्मद बख़्श की ओर से अस्सलाम अलैकुम !

निवेदन यह है कि कुछ दिनों से जन्डियाला क़स्बे के ईसाइयों ने बहुत शोर मचाया हुआ है अपितु आज दिनाँक 11 अप्रैल 1893 ई. को जन्डियाला के ईसाइयों ने डाक्टर मार्टन क्लार्क साहिब अमृतसर के माध्यम से बनाम फ़िद्वी (भक्त) रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक पत्र भेजा है। जिसकी एक प्रतिलिपि इस पत्र के दूसरी ओर देखने हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत है। ईसाइयों ने बड़े जोर शोर से लिखा है कि जन्डियाला के मुसलमान अपने विद्वान व अन्य धार्मिक प्रतिष्ठितगणों को बुलाकर एक जलसा करें और सच्चे धर्म की जाँच पड़ताल की जाय अन्यथा भविष्य में सवाल करने से खामोशी धारण करें। इसलिए आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ कि श्रीमान् केवल अल्लाह के लिए जन्डियाला के मुसलमानों की सहायता करें अन्यथा मुसलमानों पर कलंक आ जायेगा और ईसाइयों के पत्र को पढ़कर यह लिखें कि उनको पत्र का जवाब क्या लिखा जाए। जैसा श्रीमान् कहें वैसा किया जाय।

जवाब अवश्य रूप से दें।

लेखक
मुहम्मद बख़्श पान्धा
देसी पाठशाला, क़स्बा जन्डियाला
ज़िला एवं तहसील अमृतसर
11 अप्रैल 1893 ई.

वह पत्र जो डा. मार्टन क्लार्क साहिब ने मुहम्मद बख़्श पाँधा को लिखा

सेवा में,

श्री मियाँ मुहम्मद बख़्श साहिब एवं समस्त मुसलमानगण, जन्डियाला।

श्रीमान, सलाम के पश्चात् सादर ज्ञात हो कि इन दिनों जन्डियाला क़स्बे में मसीहियों तथा मुसलमानों के बीच धार्मिक चर्चाएँ बहुत होती हैं और कुछ आपके धर्म के लोग ईसाई धर्म पर आपत्ति करते हैं तथा कई प्रश्नोत्तर करते एवं करना चाहते हैं। इसी प्रकार मसीहियों ने भी मुहम्मदी धर्म[1] की कई एक जाँच पड़ताल कर ली हैं और अत्युक्तियाँ अत्यधिक हो चली हैं। इसलिए इस पत्र के लेखक की समझ के अनुसार अच्छा एवं उचित ढंग यह ज्ञात होता है कि एक जनसभा आयोजित की जाए जिसमें मुसलमान अपने उलमा और अन्य धर्मगुरुओं के साथ जिन पर उनकी तसल्ली हो, उपस्थित हों। इसी प्रकार मसीहियों की ओर से भी कोई भरोसे के योग्य लोग प्रस्तुत किए जाएं ताकि जो परस्पर झगड़े इन दिनों में हो रहे हैं, भली-भाँति उनका निर्णय किया जावे तथा पाप और पुण्य, सत्य एवं असत्य सिद्ध हो जाए। चूँकि जन्डियाला के मुसलमानों में आप हिम्मत वाले गिने जाते हैं, इसलिए हम आपकी सेवा में जन्डियाला के मसीहियों की ओर से निवेदन करते हैं कि आप चाहे स्वयं या अपने धर्म वालों से विचार विमर्श करके एक समय निर्धारित कर लें तथा जिस किसी धर्मगुरू पर आपकी तसल्ली हो उसे बुलाएँ और हम भी निर्धारित समय पर उस सभा में अपने किसी धर्मगुरू को प्रस्तुत करेंगे, ताकि जनसभा में उपरोक्त बातों का निर्णय अच्छी प्रकार हो जाए और ख़ुदावन्द सबको सीधा रास्ता प्रदान करे।

1. अर्थात इस्लाम - अनुवादक

हम किसी उपद्रव, हठ या विरोध के उद्देश्य से इस सभा के आयोजन के इच्छुक नहीं हैं। परन्तु केवल इसलिए कि जो बातें सच्ची तथा अच्छी हैं, सब लोगों पर अच्छी तरह प्रकट हों। दूसरा निवेदन यह है कि यदि मुसलमान ऐसे मुबाहसे (शास्त्रार्थ) में सम्मिलित न होना चाहें तो भविष्य में वार्तालाप के समय अपनी ज़ुबान बन्द रखें और किसी घोषणा के समय या अन्य अवसरों पर व्यर्थ एवं निराधार तर्क देने से रुकें और चुप रहें। कृपा करके इस पत्र का उत्तर शीघ्र दें ताकि यदि आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें तो आयोजन तथा उन विषयों का, जिनके बारे में मुबाहसा (शास्त्रार्थ) होना है, उचित प्रबन्ध किया जाए। बहुत बहुत सलाम। यह प्रतिलिपि मूल के तौर पर है।

लिखने वाले,
जन्डियाला के ईसाई
मार्टन क्लार्क
अमृतसर
(हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में हैं)

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब की ओर से जंडियाला के ईसाइयों की ओर 13 अप्रैल 1893 ई. को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सेवा में,

जन्डियाला के मसीहियो ! यथोचित अभिवादन के पश्चात् निवेदन है कि आज मैंने आप महानुभावों का वह पत्र, जो आपने मियाँ मुहम्मद बख़्श साहिब को भेजा था, आरम्भ से अन्त तक पढ़ा। जो कुछ आप का विचार है मैं उससे सहमत हूँ। अपितु मैं तो इस पत्र को पढ़ कर ऐसा प्रसन्न हुआ कि मैं इस संक्षिप्त पत्र में उस का वर्णन नहीं कर सकता। यह बात सच और बिल्कुल सच है कि यह प्रतिदिन के झगड़े अच्छे नहीं तथा इनसे दिन प्रतिदिन शत्रुताएं बढ़ती हैं एवं दोनों पक्षों की शान्ति तथा समृद्धि में बाधा पड़ती है और यह बात तो एक साधारण सी है। इससे बढ़कर अति आवश्यक एवं उल्लेखनीय बात यह है कि जब दोनों पक्ष नाशवान तथा इस भौतिक संसार को छोड़ने वाले हैं तो फिर इस दशा में यदि विधिवत् बहस करके सत्य को स्पष्ट न करें तो अपने आप पर तथा दूसरों पर अत्याचार करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि जन्डियाला के मुसलमानों का हमसे कुछ अधिक अधिकार नहीं अपितु जिस दशा में दयालु एवं कृपालु अल्लाह ने इस विनीत को इन्हीं कामों के लिए भेजा है तो यह बड़ा पाप होगा कि ऐसे अवसर पर मैं चुप रहूँ। इसलिए मैं आप लोगों को सूचित करता हूँ कि इस काम के लिए मैं ही उपस्थित हूँ। यह तो स्पष्ट है कि दोनों पक्षों का यह दावा है कि उनको अपना

अपना धर्म बहुत से निशानों के साथ ख़ुदा तआला से मिला है तथा यह भी दोनों को इक़रार है कि ज़िन्दा धर्म वही हो सकता है कि जिन प्रमाणों पर उसकी सच्चाई की नींव है वे प्रमाण कहानियों के रूप में न हों अपितु प्रमाणों ही के रूप में अब भी मौजूद एवं दिखाई दें। उदाहरणतया यदि किसी पुस्तक में वर्णन किया गया हो कि अमुक नबी ने चमत्कार के रंग में ऐसे ऐसे रोगियों को अच्छा किया था, तो यह और इस प्रकार की अन्य बातें इस युग के लोगों के लिए एक पक्का एवं विश्वसनीय प्रमाण नहीं ठहर सकता, अपितु यह एक सूचना है जो इन्कार करने वाले की दृष्टि में सच तथा झूठ दोनों की आशंका रखती है। बल्कि इन्कार करने वाला ऐसी सूचनाओं को केवल एक कहानी ही समझेगा। इसी कारण यूरोप के दार्शनिक इंजील में वर्णित मसीह के चमत्कारों से कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते, अपितु वे इसका ख़ूब उपहास करते हैं। अत: जब यह बात है तो यह बड़ा आसान शास्त्रार्थ है और वह यह है कि मुसलमानों में से कोई व्यक्ति उस शिक्षा और निशानियों के अनुसार जो एक पक्का मुसलमान होने के लिए क़ुर्आन में मौजूद हैं अपने आप को मुसलमान सिद्ध करे और यदि न कर सके तो वह झूठा है न कि मुसलमान। इसी प्रकार ईसाइयों में से एक व्यक्ति उस शिक्षा और निशानियों के अनुसार जो इन्जील शरीफ़ में मौजूद हैं अपने आप को मसीही सिद्ध करके दिखलाए और यदि वह न कर सके तो वह भी झूठा है न कि ईसाई। जिस हालत में दोनों पक्षों का यह दावा है कि जिस प्रकाश को उनके नबी लाए थे वह प्रकाश केवल उन्हीं तक सीमित न था अपितु चिरकाल तक अन्यों को भी प्रकाशमय करने वाला था, तो फिर जिस धर्म में यह प्रकाश सर्वव्यापक सिद्ध होगा उसी के बारे में बुद्धि निर्णय देगी कि यही धर्म ज़िन्दा एवं सच्चा है। क्योंकि यदि हम एक धर्म द्वारा वह पवित्र जीवन तथा पवित्र प्रकाश उसकी समस्त निशानियों सहित प्राप्त नहीं कर सकते, जो उसके बारे में वर्णन किया जाता है

तो ऐसा धर्म व्यर्थ की गपबाज़ी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यदि हम मान लें कि कोई नबी पवित्र था परन्तु हम में से किसी को भी पवित्र नहीं कर सकता और स्वयं अद्भुत चमत्कार दिखाने वाला था परन्तु किसी को अद्भुत चमत्कार दिखाने वाला नहीं बना सकता और स्वयं इल्हाम (ईशवाणी) पाने वाला था परन्तु हम में से किसी को मुल्हम (ईशवाणी पाने का योग्य) नहीं बना सकता तो ऐसे नबी से हमें क्या लाभ ? पर अल्हम्दो लिल्लाह वल् मिन्नतुहू[1] कि हमारा सय्यद व रसूल ख़ातमुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसा नहीं था। उसने स्वयं को प्राप्त अध्यात्मिक प्रकाश संसार को उसकी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रदान किया और अपने ज्योतिर्मय निशानों से पहचाना गया। वह सदा के लिए नूर था जो भेजा गया और उस से पहले सदा के लिए कोई नूर नहीं आया। यदि वह न आता और न उसने बतलाया होता तो हज़रत मसीह के नबी होने पर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था। क्योंकि उसका धर्म मर गया और उसका नूर बेनिशान हो गया और कोई वारिस न रहा कि उसको कुछ नूर दिया गया हो। अब संसार में ज़िन्दा धर्म केवल इस्लाम है और इस विनीत ने निजी अनुभवों से देख एवं परख लिया कि दोनों प्रकार के नूर इस्लाम और क़ुरआन में अब भी ऐसे ही ताज़ा बताज़ा मौजूद हैं जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय मौजूद थे और हम उनको दिखलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। यदि किसी को मुक़ाबले की शक्ति है तो हम से पत्र व्यवहार करे। वस्सलाम अला मनित्तबइल हुदा। (सलामती हो उस पर जो हिदायत को क़ुबूल करे - अनुवादक)

अन्ततः यह भी स्पष्ट रहे कि इस विनीत के मुक़ाबले पर जो महोदय खड़े हों वे कोई प्रसिद्ध धर्मगुरु और प्रतिष्ठित अंग्रेज़

1. अनुवाद - सब प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है और उसी की कृपा है। (अनुवादक)

पादरी साहिबों में से होने चाहिएँ क्योंकि जो बात इस मुक़ाबले और शास्त्रार्थ से उद्देश्य है और जिसका प्रभाव जनता पर डालना उद्देश्य है, वह प्रभाव तभी पड़ सकता है जब दोनों पक्ष अपनी अपनी क़ौम के विशिष्ट लोगों में से हों। हाँ कम से कम और निर्णायक तर्क के लिए मुझे यह भी स्वीकार है कि इस मुक़ाबले के लिए पादरी इमादुद्दीन साहिब या पादरी ठाकुर दास साहिब या मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ईसाइयों की ओर से चुने जाएँ और फिर उनके नाम किसी समाचार पत्र में प्रकाशित करके एक कापी इस विनीत की ओर भी भेजी जाए इसके पश्चात् यह विनीत भी अपने मुकाबले का घोषणापत्र दे देगा तथा एक कापी मुक़ाबला करने वाले को भेज देगा। परन्तु स्पष्ट रहे कि यूँ तो एक लम्बे समय से मुसलमानों तथा ईसाइयों का झगड़ा चला आ रहा है और तब से मुबाहसे हुए और दोनों पक्षों की ओर से बहुत सी पुस्तकें लिखी गईं और वस्तुतः इस्लाम के विद्वानों ने पूरी स्पष्टता से सिद्ध कर दिया है कि जो कुछ क़ुर्आन करीम पर आपत्तियाँ की गई हैं वह दूसरे रंग में तौरेत पर अपत्तियाँ हैं और जो कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान में आलोचना हुई वह दूसरे शब्दों में समस्त नबियों की शान में आलोचना है जिस से हज़रत मसीह भी बाहर नहीं। अपितु ऐसी आलोचनाओं के आधार पर ख़ुदा तआला पर भी ऐतराज़ पड़ता है। इसलिए यह बहस ज़िन्दा धर्म या मुर्दा धर्म को स्पष्ट करने के लिए होगी और देखा जाएगा कि जिन आध्यात्मिक निशानियों का धर्म और धर्म-पुस्तक ने दावा किया है वे अब भी उस में पाई जाती हैं कि नहीं ? उचित होगा कि बहस का स्थान लाहौर या अमृतसर निर्धारित हो और दोनों पक्षों के ज्ञानियों की सभा में यह बहस हो।

ख़ाकसार

मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियान,

ज़िला गुरदासपुर

अमृतसर मेडिकल मिशन

(18 अप्रैल 1893 ई.)

जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियान, सलामत तसलीम (नमस्कार)। आपका पत्र मिला। पढ़कर प्रसन्नता हुई विशेषकर इस बात से कि जन्डियाला के मुसलमानों को आप जैसे उच्चकोटि के विद्वान मिले। परन्तु हमारा दावा आपसे नहीं अपितु जन्डियाला के मुहम्मदियों[1] से है। हम आपका निमन्त्रण स्वीकार करने में असमर्थ हैं। उनकी ओर हम ने पत्र लिखा हुआ है और अभी उत्तर के प्रतीक्षक हैं। यदि उनकी सहायता आपको स्वीकार है तो उचित और विधिवत् ढंग तो यह है कि आप स्वयं उन्हें पत्र लिखें और जो आपके कृपा के इरादे हैं, उन पर प्रकट करें। यदि वे आपको स्वीकार करके इस ''जंगे मुक़द्दस'' के लिए अपनी ओर से प्रस्तुत करें तो हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं अपितु प्रसन्नता है क्योंकि आप साफदिल और परखे हुए बहुत काम के आदमी हैं, यह बात आप से छिपी नहीं होगी कि इस विशेष बहस के लिए आपको स्वीकार करना या न करना हमारा अधिकार नहीं, अपितु जन्डियाला के मुसलमानों का है। इसलिए आप उन्हीं से तय कर लें। इसके पश्चात् हम भी हाज़िर हैं। आपके और उनके समझौता करने ही की देर है।

बहुत सलाम

(लेखक डा. मार्टन क्लार्क, अमृतसर)

1. अर्थात मुसलमानों से - अनुवादक।

वह पत्र जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब ने पादरी डा. मार्टन क्लार्क के नाम लिखा

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

प्यारे मित्र पादरी साहिब,

यथोचित अभिवादन के पश्चात् लिखता हूँ कि यह समय कितना शुभ है कि मैं आप की इस मुक़द्दस जंग (पवित्र युद्ध) के लिए तैयार होकर जिसका आपने अपने पत्र में वर्णन किया है, अपने कुछ प्रिय मित्र दूत के रूप में चुनकर आपकी सेवा में भिजवाता हूँ तथा आशा रखता हूँ कि इस पवित्र युद्ध के लिए आप मुझे मुक़ाबले पर स्वीकार करेंगे। जब आप का पहला पत्र जो जन्डियाला के कुछ मुसलमानों के नाम था मुझको मिला और मैंने यह पंक्तियाँ पढ़ीं कि कोई है जो हमारा मुक़ाबला करे ! तो मेरी आत्मा उसी समय बोल उठी कि हाँ मैं हूँ जिसके हाथ पर ख़ुदा तआला मुसलमानों को विजय देगा और सच्चाई को प्रकट करेगा। वह सत्य जो मुझ को मिला है और वह सूर्य जो हम में उदित हुआ है वह अब छिपा रहना नहीं चाहता। मैं देखता हूँ कि अब वह अति प्रकाशमान किरणों के साथ चमकेगा और दिलों पर अपना प्रभाव डालेगा और अपनी तरफ़ खींच लाएगा किन्तु उसके निकलने के लिए कोई अवसर चाहिए था अत: आप महोदयों का मुसलमानों को मुक़ाबले के लिए बुलाना बड़ा ही शुभ एवं पवित्र अवसर है। मुझे आशा नहीं कि आप इस बात पर हठ करेंगे कि हमें तो जन्डियाला के मुसलमानों से ही काम है, न कि किसी और से। आप जानते हैं कि जन्डियाला में कोई प्रसिद्ध और बड़ा विद्वान नहीं और यह आपकी गरिमा के विपरीत

होगा कि आप साधारण लोगों से उलझते फिरें। इस विनीत का हाल आप से छिपा नहीं है कि आप महोदयों से मुक़ाबला के लिए दस वर्ष का प्यासा है और कई हज़ार पत्र उर्दू तथा अन्ग्रेज़ी भाषा में इसी प्यास के जोश से आप जैसे प्रतिष्ठित पादरी महोदयों की सेवा में भेज चुका हूँ। जब कुछ उत्तर न आया तो अन्तत: निराश होकर बैठ गया। अत: उन पत्रों में से नमूना के तौर पर कुछ भेजता भी हूँ ताकि आप जान सकें कि आप के इस ध्यानाकर्षण का वास्तविक पात्र मैं ही हूँ और इसके अतिरिक्त यदि मैं झूठा हूँ तो प्रत्येक दण्ड भुगतने को तैयार हूँ। मैं पूरे दस वर्ष से मैदान में खड़ा हूँ। मेरी समझ में जन्डियाला में एक भी नहीं जो मैदान का सिपाही समझा जावे इसलिए सादर निवेदन है कि यदि यह उद्देश्य है कि ये रोज़ के क़िस्से हल हो जाएँ और जिस धर्म के साथ ख़ुदा है और जो लोग सच्चे ख़ुदा पर ईमान ला रहे हैं उन के कुछ विशेष नूर प्रकट हों तो इस विनीत से मुक़ाबला किया जाए। आप लोगों का यह एक बड़ा दावा है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम वास्तव में ख़ुदा थे और वही धरती एवं आकाश के स्रष्टा थे और हमारा यह कहना है कि वह सच्चे नबी अवश्य थे, रसूल थे, ख़ुदा तआला के प्यारे थे पर ख़ुदा नहीं थे। इसलिए इन्हीं बातों के सच्चे निर्णय के लिए यह मुक़ाबला होगा। मुझ को ख़ुदा तआला ने स्वयं सूचित किया है कि जिस शिक्षा को क़ुर्आन लाया है वही सच्चाई का मार्ग है। इसी पवित्र एकेश्वरवाद को प्रत्येक नबी ने अपनी क़ौम तक पहुँचाया है। परन्तु धीरे-धीरे लोग बिगड़ गए और ख़ुदा तआला का स्थान लोगों को दे दिया। अतएव यही वह विषय है जिस पर बहस होगी और मैं विश्वास रखता हूँ कि वह समय आ गया है कि ख़ुदा तआला का स्वाभिमान अपना काम दिखलाएगा और मैं आशा रखता हूँ कि इस मुक़ाबले से एक दुनिया के लिए लाभदायक एवं प्रभावशाली परिणाम

निकलेंगे और कुछ आश्चर्य नहीं कि अब सारा संसार या उसका एक बड़ा भाग एक ही धर्म को अपना ले जो सच्चा एवं ज़िन्दा धर्म हो और जिनके साथ साथ ख़ुदा तआला की कृपा दृष्टि हो। चाहिए कि यह बहस केवल धरती तक सीमित न रहे अपितु आसमान भी उसके साथ सम्मिलित हो और मुक़ाबला केवल इस बात में हो कि आध्यात्मिक जीवन एवं ईश्वरीय स्वीकृति तथा ब्रह्मज्ञान किस धर्म में है और मैं और मेरा विपक्षी अपनी अपनी धर्म पुस्तक के प्रभावों को अपने-अपने अस्तित्व में प्रमाणित करें। हाँ ! यदि यह चाहें कि मुकाबला के पश्चात् समुचित रूप से भी इन दोनों सिद्धान्तों का फ़ैसला हो जाए तो यह भी अच्छा है परन्तु इस से पहले रूहानी एवं आसमानी आज़माइश अवश्य होनी चाहिए। वस्सलाम अला मनित्तबइल हुदा (उसको शान्ति प्राप्त हो जो सन्मार्ग का अनुसरण करे)।

ख़ाकसार

ग़ुलाम अहमद क़ादियान ज़िला गुरदासपुर

23 अप्रैल 1893

सारांशतः अनुवाद चिट्ठी डाक्टर क्लार्क साहिब

अमृतसर
24 अप्रैल 1893 ई.

सेवा में,
मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब रईस क़ादियान।

श्रीमान ! मौलवी अब्दुल करीम साहिब प्रतिष्ठित दूत के तौर पर यहाँ पहुँचे तथा मुझे आपका दस्ती पत्र दिया। श्रीमान ने जो मुसलमानों की ओर से, मुझे मुक़ाबले के लिए आमन्त्रित किया है, इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आप के प्रतिनिधि ने आपकी ओर से मुबाहसा तथा ज़रूरी शर्तों का निर्णय कर लिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि श्रीमान को भी वह प्रबन्ध तथा शर्तें स्वीकार होंगी। इसलिए कृपा करके अपनी फुर्सत में मुझे सूचना दें कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं या नहीं ?

आपका आज्ञाकारी
एच. मार्टन क्लार्क
एम.डी.सी.एम. (एडिनबरा),
एम.आर.ए.एस.सी,एम.एस.

ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य मुबाहसे (शास्त्रार्थ) के प्रबन्धन की निर्धारित शर्तें

(अंग्रेज़ी से अनुवादित)

1. यह मुबाहसा अमृतसर में होगा।
2. प्रत्येक पक्ष में केवल पच्चास व्यक्ति हाज़िर होंगे। पच्चास टिकट मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब ईसाइयों को देंगे तथा पच्चास टिकट डा. क्लार्क साहिब, मिर्ज़ा साहिब को मुसलमानों के लिए देंगे। ईसाइयों के टिकट मुसलमान इकट्ठे करेंगे और मुसलमानों के टिकट ईसाई इकट्ठा करेंगे।
3. मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी, मुसलमानों की ओर से तथा डिप्टी अब्दुल्लाह आथम ख़ाँ साहिब ईसाइयों की ओर से मुक़ाबले में आएँगे।
4. इन महोदयों के अतिरिक्त दूसरों को बोलने की आज्ञा न होगी। हाँ यह महोदय तीन व्यक्तियों को सहायक के रूप में चुन सकते हैं, परन्तु उनको बोलने का अधिकार न होगा।
5. विरोधी पक्ष सही-सही नोट प्रकाशन के उद्देश्य से लेते रहेगें।
6. कोई व्यक्ति किसी ओर से एक घण्टे से अधिक न बोल सकेगा।
7. प्रबन्धन के विषयों में कमेटी के अध्यक्ष का निर्णय अटल माना जाएगा।
8. कमेटी के दो अध्यक्ष होंगे। अर्थात् एक एक प्रत्येक पक्ष से, जो उसी समय नियुक्त किए जाएँगे।
9. मुबाहसे के स्थान का निर्धारण डा. हेनरी मार्टन क्लार्क साहिब के

अधिकार में होगा।

10. मुबाहसे का समय 6 बजे प्रातः से 11 बजे प्रातः तक होगा।
11. मुबाहसे का सारा समय दो भागों में विभाजित होगा।
    (i) 6 दिन अर्थात सोमवार 22 मई से 27 मई तक होगा। इस समय में मिर्ज़ा साहिब को अधिकार होगा कि अपना यह दावा प्रस्तुत करें कि प्रत्येक धर्म की सत्यता जीवित निशानों से सिद्ध करनी चाहिए जैसा कि उन्होंने अपनी चिट्ठी 4 अप्रैल 1893 में डा. क्लार्क साहिब को लिखा है।
12. फिर दूसरा प्रश्न उठाया जाएगा। पहले उलूहियते मसीह (अर्थात मसीह के ख़ुदा होने) के विषय पर और मिर्ज़ा साहिब को अधिकार होगा कि कोई अन्य प्रश्न जो चाहें प्रस्तुत करें पर 6 दिन के अन्दर अन्दर।
13. (मुबाहसे का) दूसरा भाग भी 6 दिन का होगा अर्थात् मई 29 से जून 3 तक (यदि इतनी आवश्यकता हुई)। उस समय मिस्टर अब्दुल्लाह आथम ख़ाँ साहिब को अधिकार होगा कि अपने प्रश्न निम्नानुसार सविस्तार प्रस्तुत करें। (i) बिना बदल की दया। (ii) जबर व क़द्र। (iii) ईमान बिल् जबर (ज़बर्दस्ती ईमान लाना) (iv) क़ुर्आन के ख़ुदा की वाणी (ईशवाक्य) होने का प्रमाण। (v) इस बात का प्रमाण कि मुहम्मद साहिब (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं। वह अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं पर शर्त यह है कि 6 दिन से अधिक समय न होने पाए।
14. टिकट 15 मई तक जारी हो जाने चाहिएँ। वे टिकट निम्नलिखित विवरण के होंगे।
15. ईसाइयों और डिप्टी अब्दुल्लाह आथम ख़ाँ साहिब की ओर से यह नियम एवं शर्तें पालन योग्य और सही तहरीर मानी गई।
    गवाही के रूप में (जिसके हस्ताक्षर नीचे हैं) मिस्टर अब्दुल्लाह आथम ख़ाँ साहिब की ओर से हस्ताक्षर करता हूँ

तथा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का तोड़ना, तोड़ने वाले पक्ष की ओर से,इक़रार से भागने के समान समझा जाएगा।

16. भाषणों पर दोनों अध्यक्ष तथा भाषण देने वाले अपने अपने हस्ताक्षर उनको प्रमाणित करने के लिए करेंगे।

हस्ताक्षर हेनरी क्लार्क एम.डी. एवं अन्य,
अमृतसर 24 अप्रैल 1893 ई.

(नमूना टिकट)	(नमूना टिकट)
मुबाहसा, डिप्टी अब्दुल्लाह आथम ख़ान साहिब अमृतसरी तथा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी के बीच।	मुबाहसा, डिप्टी अब्दुल्लाह आथम ख़ान साहिब अमृतसरी तथा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी के बीच।
टिकट दाख़िला, मुसलमानों के लिए दाख़िल करो .... को	टिकट दाख़िला, ईसाइयों के लिए दाख़िल करो.......... को.
नम्बर...... हस्ताक्षर डा. क्लार्क साहिब	नम्बर........ हस्ताक्षर मिर्ज़ा साहिब

अमृतसर 24 अप्रैल 1893 ई.

वह रजिस्टर्ड पत्र जो 25 अप्रैल को, पादरी साहिब के 24 अप्रैल के पत्र के उत्तर में भेजा गया

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

प्रिय मित्र पादरी साहिब, सलामत

यथोचित अभिवादन के पश्चात, मैं ने आपके पत्र को आरम्भ से अन्त तक सुना। मैं उन सारी शर्तों को स्वीकार करता हूँ जिन पर आपके तथा मेरे मित्रों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। परन्तु सब से पहले यह बात निर्णय हो जानी चाहिए कि इस मुबाहसे और मुक़ाबले का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है ? क्या यह उन्हीं साधारण मुबाहसों की तरह एक मुबाहसा होगा जो वर्षों से ईसाइयों और मुसलमानों के बीच पंजाब एवं हिन्दुस्तान में हो रहे हैं ? जिनका सारांश है कि मुसलमान तो अपने विचार में यह समझते हैं कि हमने ईसाइयों को हर एक बात में पराजित कर दिया है और ईसाई अपने घर में यह बातें करते हैं कि मुसलमान निरुत्तर हो गए हैं। यदि उद्देश्य इतना ही है तो फिर यह बिल्कुल बेकार और व्यर्थ है और इसका अन्तिम परिणाम इस बात के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता कि कुछ दिन बहस मुबाहसे का शोर-शराबा होकर फिर हर एक व्यर्थ बकने वाले को अपनी ही ओर की विजय सिद्ध करने के लिए बातें बनाने का अवसर मिलता रहे परन्तु मैं यह चाहता हूँ कि सच खुल जाए और एक दुनिया को सच्चाई नज़र आ जाए। यदि वास्तव में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ख़ुदा ही हैं और वही रब्बुल आलमीन (सारे जगत का पालनहार) तथा धरती एवं आकाश के स्रष्टा हैं तो नि:संदेह हम लोग काफ़िर क्या उस से भी

बढ़कर काफ़िर हैं और नि:सन्देह इस दशा में इस्लाम धर्म सच पर नहीं है परन्तु यदि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ख़ुदा तआला का केवल एक बन्दा और नबी है और समस्त मानवीय कमज़ोरियाँ अपने अन्दर रखता है तो फिर यह ईसाई साहिबों का भारी अत्याचार और बहुत बड़ा कुफ़्र (अधर्म) है कि एक साधारण इन्सान को ख़ुदा बना रहे हैं और इस दशा में क़ुर्आन के ईशवाणी होने में इससे बढ़ कर और कोई उत्तम दलील नहीं कि उसने गुम हुए एकेश्वरवाद को फिर स्थापित किया और जो सुधार, एक सच्ची पुस्तक को करना चाहिए था वह कर दिखाया और ऐसे समय में आया जब उसके आने की आवश्यकता थी। यों तो यह विषय बहुत ही स्पष्ट था कि ख़ुदा क्या है तथा उसकी विशेषताएँ कैसी होनी चाहिए परन्तु चूँकि अब ईसाइयों को यह विषय समझ में नहीं आता और बौद्धिक एवं उद्धृत प्रमाण की बहसों ने इस देश हिन्दुस्तान में उनको कुछ ऐसा लाभ नहीं दिया, इसलिए ज़रूरी है कि अब बहस का ढंग बदल लिया जाए। इसलिए मेरे विचार में इससे उचित और कोई ढंग नहीं कि एक अध्यात्मिक मुक़ाबला, मुबाहले[1] के रूप में किया जाए और वह यह कि पहले से इसी तरह हर छ: दिन तक मुबाहसा (शास्त्रार्थ) हो, जिस मुबाहसा को मेरे मित्र स्वीकार कर चुके हैं और फिर सातवें दिन मुबाहला हो और दोनों पक्ष मुबाहला में यह दुआ करें उदाहरणस्वरूप ईसाई पक्ष यह कहे कि वह ईसा मसीह नासिरी जिस पर मैं ईमान लाता हूँ, वही ख़ुदा है और क़ुर्आन इन्सान का रचा हुआ है, ख़ुदा तआला की पुस्तक नहीं और यदि मैं इस बात में सच्चा नहीं तो मुझ पर एक वर्ष के अन्दर ख़ुदा की ओर से कोई ऐसी विपत्ति पड़े जिस से मेरी (बदनामी) प्रकट हो जाए और इसी प्रकार यह विनीत दुआ करेगा कि हे सर्वगुण

1. सच तथा झूठ के बीच फ़ैसला करने के लिए ख़ुदा से दुआ करके निशान माँगना - अनुवादक।

सम्पन्न और महान ख़ुदा ! मैं जानता हूँ कि वास्तव में ईसा मसीह नासिरी तेरा भक्त तथा तेरा रसूल है, ख़ुदा कदापि नहीं और क़ुर्आन करीम तेरी पवित्र किताब और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम तेरा प्यारा और चुना हुआ रसूल है, और यदि मैं इस बात में सच्चा नहीं तो मुझ पर एक वर्ष के अन्दर कोई ऐसी वैवी विपत्ति डाल जिस से मेरी बदनामी प्रकट हो जाए और हे ख़ुदा, मेरी बदनामी के लिए यह बात पर्याप्त होगी कि एक वर्ष के अन्दर तेरी ओर से मेरे समर्थन में कोई ऐसा निशान प्रकट न हो जिसके मुक़ाबले में सारे विपक्षी असफ़ल रहें, और आवश्यक होगा कि दोनों पक्षों के हस्ताक्षरों से यह लेख कई अख़बारों में प्रकाशित हो जाए, कि जो व्यक्ति एक वर्ष के भीतर अज़ाब (दैवी विपत्ति) में ग्रसित सिद्ध हो जाए या यह कि एक पक्ष के समर्थन में कुछ ऐसे ईश्वरीय निशान प्रकट हों जो दूसरे पक्ष के समर्थन और प्रकट या सिद्ध न हो सकें तो ऐसी दशा में पराजित पक्ष, या तो विजयी पक्ष का धर्म स्वीकार करे या फिर अपनी कुल सम्पत्ति का आधा भाग उस धर्म के समर्थन के लिए विजयी पक्ष को दे दे जिस की सच्चाई सिद्ध हो।

ख़ाकसार

मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियान

ज़िला गुरदासपुर